



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. /Type Approval No.1240

मद/FOR ITEM: "टेलिमिटी ट्रान्मीटर सिस्टम - 7 आइटम्स"

Telemetry Transmitter System -7 Items

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स आस्ट्रा माइक्रोवेव प्राडक्ट्स लिमिटेड, 6-3-639/640, 303, तीसरी मंजिल, गोल्डन एडिफाइस बिल्डिंग, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "टेलिमिटी ट्रान्मीटर सिस्टम - 7 आइटम्स" परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए पार्ट संख्या को परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए आरेखन संख्या के अनुसार तेजस (एलसीए) वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए (हैदराबाद) के समन्वय से परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए नियंत्रक विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल संख्या के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह पदार्थ परिशिष्ट 'ए' और 'बी' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेंट" में विवरित विनिर्देश/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Telemetry Transmitter System" consisting of seven items, bearing the Part Nos. indicated at Appendix 'A' designed, developed and manufactured by M/s Astra Microwave Products Ltd, 6-3-639/640,303, 3rd Floor, Golden Edifice Building, Khairatabad, Hyderabad-500 004, AP, is hereby approved for production as per drawing Nos. indicated at Appendix 'A' for use on Tejas (LCA) aircraft. These items have been tested as per governing specification / test schedule Nos. indicated at Appendix 'A', in co-ordination with RCMA (Hyderabad). These products have met the requirements of the specification/tests as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A' and Appendix 'B'

पृष्ठ/Page 01 of 02

F204
H
T
C
D

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है । ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The provisional clearances issued to the product are superceded consequent to the issuance of this type approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India, and forwarding the test reports of all batches produced.

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2011 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(हैदराबाद) द्वारा एच.ए.एल, हैदराबाद प्रभाग, बालनगर, हैदराबाद 500 042 से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 30th June 2011 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA (Hyderabad), c/o HAL Hyderabad Division Balanagar Hyderabad-500042 for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' और 'बी' /Appendix 'A' & 'B'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1240

दिनांक/Date : 01 Feb 2007

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

22/1/07